कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–3/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती/2025/ई–46049 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
राजस्थान

विषय : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के अन्तर्गत वरियता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय के पत्र दिनांक : 10.02.2026 (Rajkaj ref. no. 20450279) के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के अन्तर्गत वरियता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के कार्य हेतु निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम (प्रथम चरण)

कार्य विवरण	दिनांक	विशेष विवरण
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 में बोर्ड द्वारा प्रबोधन समिति के सदस्य एवं सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा (संभाग मुख्यालय पर कार्यरत) एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) कार्यालय को प्रशिक्षण	23.02.2026	–
मण्डल स्तर पर टीमों का गठन	24.02.2026 तक	टीमों के गठन के आदेश की प्रति इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी :– sodvclass4@gmail.com पर भिजवावें
विभाग स्तर पर प्रथम प्रशिक्षण	26.02.2026	–
विभाग स्तर पर द्वितीय प्रशिक्षण	27.02.2026	–
विभाग स्तर पर VC के माध्यम से संपूर्ण प्रकिया की जानकारी हेतु	05.03.2026	–
दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण	09.03.2026 से 13.03.2026 (05 दिवस)	–
दस्तावेज सत्यापन का द्वितीय चरण	16.03.2026 से 19.03.2026 (04 दिवस)	–
दस्तावेज सत्यापन का तृतीय चरण	23.03.2026 से 25.03.2026 (03 दिवस)	–
दस्तावेज सत्यापन का चतुर्थ चरण	27.03.2026 (01 दिवस)	–
दस्तावेज सत्यापन का पांचवां चरण	30.03.2026 (01 दिवस)	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Solanki
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.13 20:02:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20532506

दस्तावेज सत्यापन का छठा चरण	01.04.2026 से 02.04.2026 (02 दिवस)	—
दस्तावेज सत्यापन का सातवां चरण	06.04.2026 से 10.04.2026 (05 दिवस)	—
दस्तावेज सत्यापन का सातवां चरण	13.04.2026 (01 दिवस)	—
दस्तावेज सत्यापन का आठवां चरण	15.04.2026 से 16.04.2026 (आवश्यकतानुसार)	—

दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम (द्वितीय चरण)

कार्य विवरण	दिनांक	विशेष विवरण
अनुपस्थित अभ्यर्थीयों को प्रथम अवसर	24.04.2026	—
अनुपस्थित अभ्यर्थीयों को द्वितीय अवसर	01.05.2026	—
नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत	11.05.2026	—

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य आपके स्तर पर करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Solanki
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.13 20:02:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20532506

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–3/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती/2025/ई–46049 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
राजस्थान

विषय : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के अन्तर्गत वरियता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग : सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र दिनांक : 17.01.2026(raj kaj no. 19985460) के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के अन्तर्गत वरियता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य इस विभाग को सौंपा गया है। 53750 पदों हेतु आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में लगभग दो गुना एवं कुछ क्षैतिज श्रेणी में 05 से 10 गुणा विचारित करने पर लगभग 145250 (एक लाख पैतालिस हजार दो सौ पचास) सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा 09 मंडल स्तर पर करवाया जाने हेतु निम्नांकित प्रारम्भिक निर्देश जारी किए जाते है :–

1. प्रत्येक मंडल में 04 सदस्यों की प्रबोधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है। जिनके द्वारा अपने मंडल में उक्त कार्य का प्रभावी प्रबोधन, सफल संचालन, क्रियान्वयन एवं निदेशालय को रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का कार्य किया जाना है। उक्त समिति में निम्न पदानुसार अधिकारियों को लगाया जाता है –

क्र.सं	पदनाम	कमेटी में दायित्व
1	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक (MGGS), संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) कार्यालय	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा (संभाग मुख्यालय पर कार्यरत)	सदस्य
4.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) कार्यालय	सदस्य सचिव

2. प्रत्येक मंडल स्तर पर एक कंट्रोल रूम का गठन किया जाए जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी मय 03 अन्य कार्मिक प्रातः 08 बजे से सांय 08:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगें। मंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के कार्मिक निदेशालय स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के कार्मिकों से आपसी समन्वय कर प्रतिदिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करवाएगें।
3. प्रत्येक मंडल पर लगभग औसतन 16000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा सुविधा अनुसार 01 स्थान पर (30 टीमों)/02 स्थान पर (15 टीमों द्वारा प्रत्येक स्थान पर)/ 03 स्थान पर (10 टीमों द्वारा प्रत्येक स्थान पर) स्थानों पर सुगमता पूवर्क दृष्टि से सम्पादित करवाया जाना है। उक्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य 25 कार्य दिवस में पूर्ण करवाया जाना है। प्रतिदिन लगभग 750 अभ्यर्थियों प्रत्येक टीम द्वारा 25 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन प्रतिदिन किया जाना है। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम पृथक से सूचित किया जाएगा।
4. प्रत्येक मंडल में 30 टीम के अतिरिक्त दो रिर्जव टीम/दो हेल्प डेस्क(एक महिला हेल्प डेस्क एवं एक पुरूष हेल्प डेस्क सहित) एवं एक डाटा एंट्री टीम (जिसमे राजपत्रित अधिकारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.02.10 17:05:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20450279

अध्यक्षता में 03 सदस्य कम्प्यूटर में दक्ष) का गठन किया जाना है जिसमें अपने मंडल में ही कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को ही दस्तावेज सत्यापन के कार्य हेतु निर्धारित अवधि तक के लिए प्रतिनियुक्त करें। दस्तावेज सत्यापन टीम का गठन निम्नानुसार रहेगाः–

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1.	प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य/व्याख्याता समकक्ष	अध्यक्ष
2.	द्वितीय श्रेणी अध्यापक/अध्यापक/शारीरिक शिक्षक समकक्ष	सदस्य
3.	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/मंत्रालयिक कार्मिक(कम्प्यूटर विज्ञ)	सदस्य

5. **स्थानीय व बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्राअधीक्षक/परीक्षा प्रभारी/वीक्षक आदि के रूप में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को उक्त कार्य हेतु नहीं लगाया जावें।**
6. दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रत्येक मंडल स्तर पर गठित टीमों के अधिकारियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयन बोर्ड से प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा मंडल स्तर पर गठित टीमो के शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
7. (i) प्रत्येक मंडल द्वारा ऐसे स्थान/स्थानों(संभाग मुख्यालय पर) का चयन किया जाना है जहां अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु आधारभूत सुविधाएं यथा शौचालय, लाईट, पानी, कमरे एवं बैठने आदि की व्यवस्था हो, ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस स्थान/स्थानों का चयन आप द्वारा किया जाएगा उसका शाला दर्पण अनुसार नाम(इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में), पता(इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में) एवं nic id की सूचना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

   (ii) प्रत्येक टीम के लिए स्टेशनरी, एवं अन्य आवश्यक कार्यों इत्यादि हेतु व्यय होने वाला का अनुमानित बजट का प्रस्ताव इस कार्यालय को तत्काल भिजवावें।
8. प्रत्येक मंडल स्तर पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान सामान्य व्यवस्था एवं अनुशासन के लिए संयुक्त निदेशक द्वारा एक टीम का गठन किया जाना है।
9. दस्तावेज सत्यापन में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, जयपुर जारी विज्ञप्ति एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी किए गए परिपत्र के परिपेक्ष्य में गठित टीमों को आने वाली समस्याओं के निस्तारण हेतु संयुक्त निदेशक द्वारा एक परिवेदना समिति का गठन किया जाना है। परिवेदना समिति अभ्यर्थियों से प्राप्त परिवेदना का नियमानुसार परीक्षण कर निस्तारण करेगी उक्त समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी को सम्मिलत किया जाना है –

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1	उप निदेशक स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का अधिकारी	सदस्य
3	प्रधानाचार्य समकक्ष स्तर का अधिकारी	सदस्य

10. उत्कृष्ठ खिलाडियों के खेल प्रमाण पत्र की जांच हेतु संयुक्त निदेशक द्वारा एक खेल समिति का गठन किया जाना है, जिसमें निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलत किया जाना है –

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी(शा.शि.)	अध्यक्ष
2	कोच अथवा व्याख्याता स्तर का शारीरिक शिक्षक	सदस्य
3	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अथवा तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक	सदस्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.02.10 17:05:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20450279

उक्त कार्य हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रबोधन समिति, परिवेदना समिति एवं उत्कृष्ठ खिलाडियों के खेल प्रमाण पत्र की जांच हेतु खेल समिति की **सूचना निम्नांकित प्रारूप में इस कार्यालय की ई–मेल आई डीः– sodvclass4@gmail.com पर तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवावें।**

समिति का नाम :..................................

क्र.स.	**कार्मिक का नाम मय पदनाम**	**पदस्थापन स्थान**	**एम्प्लॉय आईडी**	**एसएसओ आईडी**	**मोबाइल नम्बर (whatsapp)**	**समिति में दायित्व**	**विशेष विवरण**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि.निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि.निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.02.10 17:05:51 IST
Reason: Approved